

ट्रंप, 30 प्रतिशत चीन के, 35 प्रतिशत कैनडा के, 25 प्रतिशत मैक्सिको के निर्यात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं

इन देशों पर लगे इस भारी टैरिफ के कारण “प्राइस वॉर” में भारत इन देशों की तुलना में सस्ता हो जाता है और भारत को अमेरिका को निर्यात की मुख्य 30 कैटिगरी में से 22 में भारी लाभ होगा

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15 जुलाई। वैश्विक व्यापार में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और भारत इसके सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक बन सकता है। अमेरिका चुंकि चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे प्रमुख व्यापार साझेदारों पर टैरिफ बढ़ा रहा है, इसलिए भारतीय निर्यातकों को बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का एक दुर्लभ रणनीतिक अवसर मिल रहा है—विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में।

नीति आयोग की नवीनतम ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक व्यापार की शीर्ष 30 श्रेणियों (एच एस 2—स्तर) में से 22 में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए तैयार है, जो 2.28 ट्रिलियन से अधिक के बाजार का प्रतिनिधित्व करती है। इसका बड़ा कारण ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया टैरिफ बिल्टअज है—चीनी आयात पर 30 प्रतिशत, कनाडाई वस्तुओं पर 35 प्रतिशत और मैक्सिकन उत्पादों पर 25 प्रतिशत। इन अधिक

■ इन 30 कैटेगरी में लगभग 2.28 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात का धंधा होता है।

■ ये अधिकतर लाभ कैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र (टैक्सटाइल्स), आईटी सर्विसेज में होगा, जहाँ भारत अभी भी इन देशों से कुछ सस्ता है और यदि अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगा देता है, जैसे इन देशों को आशंका है, तो भारत की बल्ले-बल्ले स्थिति हो जाती है।

■ पर, नीति आयोग की पत्रिका, ट्रेड वॉच क्वार्टरली के आँकड़ों के अनुसार, भारत की इस बल्ले-बल्ले स्थिति के साथ-साथ संकट की भी आशंका है। छः कैटिगरियों में भारत का माल 1 से तीन प्रतिशत महँगा भी हो सकता है। विशेषकर कृषि, डेयरी तथा ऑटोमोबाइल सैक्टर में। उदाहरण के लिए, अगर भारत डेयरी सैक्टर में दूध पर टैरिफ कम कर देता है तो भारत में इसकी कीमत 15 प्रतिशत टूट जाएगी, तथा भारत के दुग्ध उत्पादकों को प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।

शुल्कों ने भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अपेक्षाकृत सस्ता और आकर्षक बना दिया है। एसबीआई की नवीनतम व्यापार

के पास आगे बढ़ने के विकल्प हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का काल्पनिक टैरिफ भी लगा दे, तब भी भारत का निर्यात प्रभावित नहीं होगा—जो 2024–25 में रिकॉर्ड 387.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, विशेष रूप से आईटी, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं के बल पर।

नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार “वैश्विक टैरिफ परिदृश्य बदल रहा है, और भारत को इन बदलावों का फायदा तेजी से उठाना चाहिए।” सबसे बड़ा लाभ उन क्षेत्रों में हो सकता है जहां भारत को पहले से ही रीवीव्ड कम्पैरेटिव एडवांटेज (आरसीए) प्राप्त है—जो निर्यात प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख आर्थिक मापदंड है।

उदाहरण के लिए, रसायन क्षेत्र में भारत को आरसीए प्राप्त है, जहां फिलहाल चीन और सिंगापुर अमेरिकी आयात पर हावी हैं। लेकिन चीन पर भारी टैरिफ लगाने से भारत इस क्षेत्र में जगह बना सकता है। यदि भारत चीन और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ट्रेनी एसआई का टैस्ट जाँच का हिस्सा था’

जयपुर, 15 जुलाई। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण में अदालती आदेश की पालना में एसआईटी के मुखिया वीके सिंह हाईकोर्ट में पेश हुए। इस दौरान, अदालत ने केस से जुड़े वकीलों के अलावा अन्य सभी को बाहर जाने का कहकर, वीके

■ एसआईटी प्रमुख ने हाई कोर्ट को एसआई पेपर लीक के बारे में अपडेट दिया।

सिंह से सवाल-जवाब किए। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को रखी है। वीके सिंह ने अदालत से कहा कि ट्रेनी एसआई की परीक्षा छंटनी के लिए नहीं, बल्कि जांच का हिस्सा थी। इसके जरिए अभ्यर्थियों की बौद्धिकता का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारिश का अनुमान जयपुर, 15 जुलाई। मौसम विभाग ने राजस्थान में 16 व 17 जुलाई को कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई को बांरा, बुंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर व श्रीगंगानगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी प्रकार 17 जुलाई को भी बांरा, बुंदी, झुंझुन, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

महाराष्ट्र भी शीघ्र ही जबरन “धर्म परिवर्तन” विरोधी कानून लाएगा

पर, महाराष्ट्र का कानून अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा सख्त है

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15 जुलाई। महाराष्ट्र देश का ऐसा ग्यारहवां राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करेगा। देवेन्द्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में यह विधेयक विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड और उत्तराखंड सहित, दस राज्य पहले ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर चुके हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मोटे तौर “लव जिहाद” को रोकना रहा है। महाराष्ट्र के मामले में, प्रस्तावित कानून का दायरा व्यापक प्रतीत होता है, जिसमें ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जो कथित रूप से विदेशी फंडिंग का उपयोग करके आदिवासियों का धर्मांतरण कर रही हैं और अवैध चर्च बना रही हैं। पिछले सप्ताह, महाराष्ट्र के राज्यस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि

■ ऐसा माना जाता है कि यह प्रस्तावित “लव जिहाद” पर तो रोक लगायेगा, साथ ही ईसाई धर्म परिवर्तन पर भी अंकुश लगायेगा।

■ महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने विधानसभा में कहा, “ईसाई, विदेशों से आए पैसों से आदिवासी इलाकों में हजारों चर्च बना रहे हैं, तथा 2000 लोगों के गाँव में भी एक दर्जन से भी ज्यादा चर्च बन गये हैं तथा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है।

■ मंत्री ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगले महीनों में अनाधिकृत तरीके से बनाये गये ये चर्च तोड़ दिये जायेंगे।

धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बने अवैध चर्चों को अगले छह महीनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा। सोमवार को विधानसभा में बोलते हुए, गृह राज्य मंत्री पंकज घोष ने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है और इसके प्रावधान अन्य राज्यों के इसी प्रकार के मौजूदा कानूनों की तुलना

में अधिक सख्त होंगे। यह घोषणा इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह गृह राज्य मंत्री की ओर से आई है। राज्य सरकार ने ऐसे कानून के मसौदे को तैयार करने के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट सरकार को सीपीआ चुकी है। फड़नवीस सरकार की यह पहल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक की बात मानी

पहलगाम हमले के 82 दिन बाद आई इस स्वीकारोक्ति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पहलगाम में सुरक्षा चूक की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की विवादित नजरबंदी के बाद केंद्र सरकार गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। इन घटनाओं ने इस संवेदनशील क्षेत्र में नैतिक और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीनगर में पर्यवेक्षक तनो हैरान रह गए जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अप्रत्याशित बयान में पहलगाम की घटना को लेकर सुरक्षा तंत्र में खामियों को स्वीकार किया। सिन्हा पिछले तीन वर्षों से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और इस तरह की स्पष्ट प्रशासनिक विफलता की स्वीकारोक्ति को बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है

■ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उक्त स्वीकारोक्ति और फिर अगले दिन ही मुख्यमंत्री को शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में जाने से रोकने के लिए नजरबंद किए जाने से राजनैतिक हलकों में भारी खलबली मच गई है।

कि सिन्हा का बयान सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों के अनुसार, यह बयान पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं था, बल्कि दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था, जिससे जनता का ध्यान केंद्र सरकार से हटाया जा सके और ऑपरेशनल

विफलता का दोष उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर मोड़ा जा सके।

इस विवाद को और गहरा करते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उपराज्यपाल सिन्हा के बयान के ठीक एक दिन बाद नजरबंद कर दिया गया। अब्दुल्ला श्रीनगर में एक कश्मिस्तान में शहीदों की सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने जा रहे थे, जिसे रोकने के लिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पहले भी कई राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को भी इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इन दोनों घटनाओं के समय ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि उपराज्यपाल सिन्हा की प्रतिक्रिया पहलगाम घटना के 82 दिन बाद आई, जो इस और इशारा करती है कि यह बयान दिल्ली से स्पष्ट निर्देश मिलने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ सैनिकों पर एक टिप्पणी को लेकर दायर मान हानि मामले में मंगलवार को राहुल गांधी लखनऊ के एमपीएमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए, जहाँ उन्होंने आत्मसमर्पण किया और 5 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई।

को जमानत मिल गई। एडिशनल सीजेएम आलोक वर्मा वाली एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 हजार रुपये के दो बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। बता दें कि यह मामला ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती में यूजीसी के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार द्वारा 2021 में की गई 1,158 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की नियुक्तियों को, यूजीसी नियमों के उल्लंघन के आधार पर, रद्द कर दिया। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराने के फैसले को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला उन कई याचिकाओं पर सुनाया, जिनमें हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने कहा, “इस मामले में कई कमियाँ हैं, जैसे यूजीसी के नियमों में निर्धारित मानकों को हटाकर, केवल एक बहुविधकल्पीय पत्रन आधारित

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह भर्ती रद्द करने के पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया और फैसले में डिविजन बेंच के हस्तक्षेप को गलत करार दिया।

लिखित परीक्षा कराना और मौखिक परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करना आदि, तथा इसलिये पंजाब –हरियाणा हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाना सही निर्णय था, और डिवीजन बेंच ने उस निर्णय में हस्तक्षेप करके गलती की।” जनवरी 2021 में पंजाब सरकार ने पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) से 931 असिस्टेंट प्रोफेसरों और 50 लाइब्रेरियनों की भर्ती कराने के लिए अनुरोध किया था। बाद में, सरकार ने नए स्थापित कॉलेजों के लिए 160 असिस्टेंट प्रोफेसरों और 17 लाइब्रेरियनों की अतिरिक्त भर्ती की भी मंजूरी दी।

लेकिन सितंबर-अक्टूबर 2021 में सरकार बदलने के बाद, प्रक्रिया को बदल दिया गया और पीपीएससी को दरकिनार करते हुए, दो विभागीय चयन समितियों के माध्यम से 1,091 असिस्टेंट प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया। इन समितियों के अध्यक्ष राज्य के दो विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर थे। यह मामला पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष आया, जिसने अगस्त 2022 में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

बाद में, पंजाब सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की,

जिसने सितंबर 2024 में एकल न्यायाधीश के निर्णय को पलट दिया और भर्ती को वैध ठहराया। इस फैसले से असन्तुष्ट याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल करते हुए, पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन पदों के लिए यूजीसी के 2018 के नियमों के अनुसार नये सिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाये।

स्वर्ण मंदिर को 24 घंटे में दूसरी बार बम की धमकी

अमृतसर (पंजाब), 15 जुलाई। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर (हरमिंदर साहिब) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, 24 घंटे में दूसरी ईमेल के जरिये यह धमकी मिली है। इसके बाद जिला शहरी पुलिस की तर्फ से स्वर्ण मंदिर और आस-पास सुरक्षा पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी है। हरमिंदर साहिब के आने-जाने वाले हर एक रास्ते को सील कर दिया है और हर श्रद्धालु की

■ दूसरे दिन फिर से स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के साथ पुलिस ई-मेल का उद्गम ट्रेस करने का प्रयास भी कर रही है।

चैकिंग की जा रही है। पंजाब पुलिस के साथ-साथ बीएसएफ को भी तैनात किया गया। वहीं इसके अलावा पूरे इलाके में ड्रांग और बम स्क्वाड भी तैनात कर दिए गए हैं। जानकारी मुताबिक एसजीपीसी को भेजी गई ईमेल में लिखा गया है कि हरमिंदर साहिब के आस-पास की पाइपों में आरडीएक्स भर दिया गया है। जिससे अंदर धमाके किए जाएंगे। हालांकि, सुरक्षा कारणों से न तो मेल और न ही उसमें लिखे गए शब्दों को सार्वजनिक किया गया है।

यमन में भारतीय नर्स की मौत की सजा टली

नयी दिल्ली,15 जुलाई। यमन में हत्या के जुर्म में जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को दो जी जाने वाली मौत की सजा भारत सरकार के प्रयासों के बाद टाल दी गई है।

सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि भारतीय अधिकारियों के प्रयासों से निमिषा प्रिया की सजा फिलहाल स्थगित

■ भारत सरकार के प्रयासों की वजह से यह सफलता मिली है। खबर है कि निमिषा को माफी देने के लिए 8.5 करोड़ रु. देने की पेशकश की गई है।

हो गई है। भारतीय अधिकारी वहां के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे। सूत्रों ने कहा, पता चला है कि यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को दो जी जाने वाली मौत की सजा टाल दी है। भारत सरकार इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)